



# ग्राम कार्य योजना (वी.ए.पी.)

जल संबंधी उन सभी गतिविधियों की पहचान करना जो ग्राम समुदाय की 'जीवन सुगमता' को बेहतर बनाने में मदद करती हैं। (ग्राम पंचायत और/ या इसकी उप-समिति, अर्थात वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि द्वारा तैयार की जानी है और डी.डब्ल्यू.एस.एम. को प्रस्तुत किए जाने से पहले ग्राम सभा में अनुमोदित की जानी है। आई.एस.ए. द्वारा मार्गदर्शन सहायता प्रदान की जानी है।)

1. तैयारी की तारीख: 22.10.2021  
 ग्राम सभा में अनुमोदन की तारीख: \_\_\_\_\_  
 डी.डब्ल्यू.एस.एम. को प्रस्तुत किए जाने की तारीख: \_\_\_\_\_

2. ग्राम का नाम: चिचूदी संहगिया चिचूदी संहगिया  
 ग्राम पंचायत का नाम: \_\_\_\_\_  
 ब्लॉक का नाम: जेडारु बृधुर्ग बलराम पुर  
 जिला का नाम: \_\_\_\_\_  
 राज्य का नाम: उत्तर-प्रदेश  
 ग्राम जनगणना कोड: \_\_\_\_\_

(यदि लागू हो तो, बस्तियों की संख्या और उनके नाम)

## 1. ग्राम पंचायत संकल्प

3. ग्राम समुदाय की आकांक्षा : 02 (संख्या) मवेशी कुंडों को और 0.2 (संख्या) कपड़े धोने/स्नान करने के स्थानों को जल आपूर्ति करने सहित प्रतिदिन नियमित आधार पर अर्थात 10 घंटे निर्धारित गुणवत्ता \* वाले 60.5 एल.पी.सी.डी. जल की आपूर्ति वर्ष 2024 तक सभी समीण परिवारों को उपलब्ध कराने के लिए एफ.एच.टी.सी. प्रदान करना

हम, ग्राम समुदाय के लोग, अपनी अंतःग्राम जल आपूर्ति अवसंरचना के अपनत्व, प्रबंधन, प्रचालन और रख-रखाव की जिम्मेदारी लेते हैं। हम अपने जल निकायों का सम्मान करेंगे और उनकी रक्षा करेंगे और उन्हें संदूषित नहीं करेंगे। हम अपने गदले जल की व्यवस्था करेंगे और अपने मीठे पानी को बचाएंगे।

यह संकल्प लिया जाता है कि पूंजी लागत का 10 %, प्रचालन और रख-रखाव लागत के परिगणित हिस्से का भुगतान किया जाएगा और जल आपूर्ति प्रणाली के प्रबंधन में योगदान किया जाएगा।

\* पानी की गुणवत्ता का प्रमाण पत्र पी.एच.ई.डी./ आर.डब्ल्यू.एस. विभाग द्वारा जारी किया जाएगा।

## 11. ग्राम पंचायत और/ या इसकी उप-समिति, अर्थात वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि का विवरण

4. कौन सी समिति गाँव में जल आपूर्ति योजना की आयोजना, कार्यान्वयन, प्रबंधन, प्रचालन और रख-रखाव का नेतृत्व करेगी?  
 (ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति): पंच जल स्वयं-सहायता समिति  
 समिति को क्या कहा जाता है: \_\_\_\_\_  
 अध्यक्ष का नाम: राम राज  
 लिंग: पुरु  
 आयु: 46

| सदस्य का नाम | लिंग | आयु |
|--------------|------|-----|
|--------------|------|-----|

संयोजक  
P.C

*(Handwritten signature)*



### III. सामान्य विवरण

6.

2011 की जनगणना के अनुसार:

जनसंख्या: 2232  
 परिवारों की संख्या: 580  
 महिलाओं की संख्या: 820  
 पुरुषों की संख्या: 1032  
 बच्चों की संख्या: 1032  
 एफ.एच.टी.सी. की संख्या: \_\_\_\_\_

वर्तमान पंचायत/ आंगनवाड़ी रिकॉर्ड के अनुसार:

वर्तमान जनसंख्या: 3000  
 परिवारों की संख्या: \_\_\_\_\_  
 महिलाओं की संख्या: 700  
 पुरुषों की संख्या: 800  
 बच्चों की संख्या: 1500  
 एफ.एच.टी.सी. की संख्या: \_\_\_\_\_

7. जनसंख्या अनुमान:

मध्यवर्ती चरण - वर्तमान से 15 वर्ष (वर्तमान जनसंख्या में 18% वृद्धि): \_\_\_\_\_ किलोलीटर/दिन (के.एल.डी.) अंतिम चरण  
 - वर्तमान से 30 वर्ष (वर्तमान जनसंख्या में 32% वृद्धि): \_\_\_\_\_ किलोलीटर/दिन (के.एल.डी.)

8. वर्तमान मवेशी संख्या (पशुपालन रिकॉर्ड): पशु - 1367 92/21 - 145 = 281

9. कृषि फसल पैटर्न: त्रैमासिक वार्षिक

| प्रमुख फसलें | खरीफ | रबी |
|--------------|------|-----|
| गन्ना        | X    | ✓   |
| धान          | ✓    |     |
| मक्का        | ✓    | ✓   |
| कपास         | X    |     |
| नेहू         | ✓    |     |
| अन्य         |      |     |

10. औसत जिला वर्षा (मि.मी. में): 468 मि.मी.

11. स्थलाकृति (समतल, ढलान, आदि): समतल

#### IV. स्थिति विश्लेषण

12. क्या संसाधन मानचित्रण किया गया है? (हाँ/नहीं)  
 ('ग्राम कार्य योजना' के साथ मानचित्र संलग्न करें)
13. क्या सामाजिक मानचित्रण किया गया है? (हाँ/नहीं)  
 ('ग्राम कार्य योजना' के साथ मानचित्र संलग्न करें)

| क्र. सं. | सार्वजनिक संस्था का नाम | क्या एफ.एच.टी.सी. उपलब्ध है? (हाँ/नहीं) | क्या वर्षा जल संचयन संरचना उपलब्ध है? (हाँ/नहीं) | सौख्यता गड्डों की उपलब्धता? (हाँ/नहीं) |
|----------|-------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1.       | स्कूल                   | ✓                                       | X                                                | ✓                                      |
| 2.       | आंगनवाड़ी               | ✓                                       | X                                                | ✓                                      |
| 3.       | स्वास्थ्य केन्द्र       | X                                       | X                                                | X                                      |
| 4.       | ग्राम पंचायत भवन        | ✓                                       |                                                  | ✓                                      |
| 5.       | अन्य                    |                                         |                                                  |                                        |



### की कुल दैनिक आवश्यकता

5. पानी की वर्तमान आवश्यकता - जनसंख्या" X दर: \_\_\_\_\_ के.एल.डी.  
 मवेशियों के लिए पानी की वर्तमान आवश्यकता: \_\_\_\_\_ के.एल.डी.  
 मवेशी कुंड़ों की आवश्यक संख्या: \_\_\_\_\_ के.एल.डी.  
 मध्यवर्ती चरण के लिए पानी की आवश्यकता - जनसंख्या" X दर: \_\_\_\_\_ के.एल.डी.  
 अंतिम चरण के लिए पानी की आवश्यकता - जनसंख्या" X दर: \_\_\_\_\_ के.एल.डी.

### पानी की आपूर्ति का इतिवृत्त

16. गाँव में पानी की आपूर्ति/उपलब्धता का इतिवृत्त, सूखा/अकाल/चक्रवात/बाढ़ या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा का पैटर्न, पानी की उपलब्धता की सामान्य प्रवृत्ति: पृथार्त सुखद्वित वन भण्डार नल द्वारा वन पूर्ति  
 17. आपातकालीन व्यवस्था का कोई इतिवृत्त जैसे टकियो, रेल गाड़ियों आदि के माध्यम से पानी की आपूर्ति: पृथार्त सुखद्वित वन भण्डार  
 18. पानी की आपूर्ति से संबंधित आंशिक कार्य, स्रोत को मजबूत करने का इतिवृत्त: प्रलु पानी रंकी  
 19. जल जनित रोगों का इतिवृत्त: डायरिया। गीस्टो। किडनी। गठिया। पीनिया। कमि विविहा बुखार आदि

### पानी की गुणवत्ता

20. फील्ड परीक्षण किट / वायल का उपयोग करके समुदाय के साथ जल गुणवत्ता की चौकसी के लिए अभिनिर्धारित तारीखें: \_\_\_\_\_  
 21. सैनिट्री निरीक्षण के लिए अभिनिर्धारित तारीख: \_\_\_\_\_  
 22. जल आपूर्ति योजना में इस्तेमाल किए जाने वाले मौजूदा/ प्रस्तावित पेयजल स्रोत (स्रोतों) के पानी की गुणवत्ता: स्रोत का नाम (अवस्थिति): \_\_\_\_\_

| मापदंड                  | तरीका              | परिणाम |
|-------------------------|--------------------|--------|
| गटगी                    | दृश्य तुलना        | 1.83   |
| पीएच                    | पडी रंग तुलना      | 7.85   |
| पूर्ण लवणता             | टिट्रीमेट्रिक विधि | 320    |
| पूर्ण क्षारीयता         | टिट्रीमेट्रिक विधि | 17.01  |
| क्लोराइड                | टिट्रीमेट्रिक विधि |        |
| अमोनिया                 | दृश्य रंग तुलना    |        |
| फास्फेट                 | दृश्य रंग तुलना    |        |
| अवशिष्ट क्लोरीन         | दृश्य रंग तुलना    |        |
| आयरन                    | दृश्य रंग तुलना    | 0.33   |
| नाइट्रेट                | दृश्य रंग तुलना    |        |
| फ्लोराइड                | दृश्य रंग तुलना    |        |
| आर्सेनिक (हॉटस्पॉट में) | दृश्य रंग तुलना    |        |

### कपड़े धोने / स्नान करने का स्थान

23. यह संभावना है कि गाँव के कुछ गरीब इलाकों में कपड़े धोने के लिए और/ या नल कनेक्शन के लिए पर्याप्त जगह न हो। ऐसे अभिनिर्धारित स्थानों की संख्या, जिनमें कपड़े धोने/ स्नान करने के स्थान उपलब्ध कराए जाने हैं: \_\_\_\_\_

| अवस्थिति का नाम | घरों की संख्या | आबादी |
|-----------------|----------------|-------|
|-----------------|----------------|-------|



**स्रोत स्थायित्व**

24. भू-जल स्रोत के मामले में, क्या बोरेवेल रिचार्ज संरचना है? (हाँ/नहीं)  
 25. गाँव में उन मौजूदा जल भंडारों की सूची जिनका कार्याकल्प/मरम्मत कार्य किया जाना आवश्यक है:

**गंदले जल का प्रबंधन**

26. उत्पन्न गंदला जल (जल आपूर्ति का 65%): \_\_\_\_\_ के.एल.डी.  
 अलग-अलग सोखता गड्ढों वाले परिवारों की संख्या: \_\_\_\_\_  
 उन परिवारों की संख्या जिन्हें सोखता गड्ढों की आवश्यकता है: \_\_\_\_\_  
 आवश्यक सामुदायिक सोखता गड्ढों की संख्या: \_\_\_\_\_  
 क्या अपशिष्ट तलछट तालाब की आवश्यकता है? (हाँ/नहीं): \_\_\_\_\_  
 यदि हाँ, तो क्या इसके लिए स्थान अभिनिर्धारित किया गया है: \_\_\_\_\_  
 यदि नहीं, तो गंदला जल प्रबंधन के कौन से अन्य उपायों को अपनाया जाना चाहिए? \_\_\_\_\_

**V. जल आपूर्ति योजना**

27. निम्नलिखित में से किस श्रेणी के तहत एफ.एच.टी.सी. प्रदान किए जाएंगे:  
 • अंतिम छोर तक पहुँच के लिए पूर्ववर्ती एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. के तहत शुरू की गई योजनाओं की रेट्रोफिटिंग  
 • पूर्ण हो चुके आर.डब्ल्यू.एस. की रेट्रोफिटिंग ताकि इसे जे.जे.एम. के अनुकूल बनाया जा सके  
 • निर्धारित गुणवत्ता वाले पर्याप्त भू-जल/स्प्रिंग वाटर/ स्थानीय या धरातली जल वाले गाँवों में एस.वी.एस.  
 • शोधन की आवश्यकता वाले किन्तु पर्याप्त भू-जल वाले गाँवों में एस.वी.एस.  
 • वाटर ग्रिड/क्षेत्रीय जल आपूर्ति योजनाओं वाले एम.वी.एस.  
 • मिनी सौर ऊर्जा आधारित पी.डब्ल्यू.एस. जो एकान्त/आदिवासी बस्तियों में स्थित हैं

28. अभिनिर्धारित जल स्रोत: ग्रामीण बुढ़कियाँ मैनेजमेंट आर्थिक और सामाजिक-आर्थिक सुल्योक्तन के  
 आधार पर प्रस्तावित जल आपूर्ति योजना: ग्राम पंचायत की गरी  
 इस योजना के लिए अभिनिर्धारित भूमि: ग्राम पंचायत चिचुड़ी संदगिरा  
 वह तारीख, जिस पर यह भूमि पी.एच.ई.डी./आर.डब्ल्यू.एस. विभाग को सौंप दी जाएगी: एफ.टी. R.W.S की सौंप दिया  
 योजना की लागत: 10% भारत सरकार का हिस्सा: 50% राज्य का हिस्सा: 50%  
 समुदाय का हिस्सा: \_\_\_\_\_ व्यक्तिगत घरेलू अंशदान:  
 \_\_\_\_\_ वार्षिक प्रचालन व रख-रखाव शुल्क: \_\_\_\_\_ व्यक्तिगत घरेलू मासिक जल शुल्क/  
 प्रयोक्ता शुल्क: \_\_\_\_\_ कोई दूरस्थ बसावट हो तो, अभिनिर्धारित  
 पी.डब्ल्यू.एस.: \_\_\_\_\_

**VI. मेल-जोल**

(निम्नलिखित तालिका में उन संभावित योजनाओं का उल्लेख किया गया है जिसके तहत गतिविधि/ निधि मेल-जोल संभव है। ग्राम समुदाय द्वारा ग्राम की आवश्यकताओं के अनुसार अभिनिर्धारित योजनाओं के प्रस्ताव भेजे जाने हैं।)

| 29. योजना का नाम                          | केन्द्र/राज्य सरकार का विभाग               | संभावित गतिविधियाँ जो शुरू की जा सकती हैं                                         | प्रस्तावित निधि |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| चौदहवां वित्त आयोग                        | ग्राम पंचायत                               | ग्रे-वाटर मैनेजमेंट, इनेज सिस्टम आदि।                                             |                 |
| स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण (एस.बी.एम.-जी) | पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय | ग्रे-वाटर मैनेजमेंट -सोखता गड्ढे (व्यक्तिगत / सामुदायिक), अपशिष्ट तलछट तालाब आदि। |                 |
| एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस.                      | ग्रामीण विकास मंत्रालय                     | प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (एन.आर.एम.) घटक के तहत सभी जल संरक्षण गतिविधियाँ         |                 |



| योजना का नाम                                                           | केन्द्र/राज्य सरकार का विभाग                            | संबन्धित गतिविधियाँ जो शुरू की जा सकती हैं                                                                      | प्रस्तावित निधि |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.)                   | भूमि ससाधन विभाग                                        | वाटरशेड प्रबंधन/ आर.डब्ल्यू.एच./ कृत्रिम पुनर्भरण, जल निकासों का निर्माण/ वृद्धि आदि।                           |                 |
| जल भंडारों की मरम्मत, नवीनीकरण और जीर्णोद्धार                          | जल ससाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग               | बड़े जल भंडारों का जीर्णोद्धार                                                                                  |                 |
| राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.)                             | कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण                          | वाटरशेड से संबंधित कार्य                                                                                        |                 |
| प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी.एम.के.एस.वाई.)                      | कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण मंत्रालय                 | जल की अधिक खपत वाली विशिष्ट फसलों के लिए सूक्ष्म-सिंचाई का प्रावधान, एकवीफर्स से जल की निकासी को कम करने के लिए |                 |
| क्षतिपूर्क वनीकरण कोष प्रबंधन और आयोजना प्राधिकरण                      | पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय                | वनीकरण, वन पारिस्थितिकी तंत्र का पुनर्जनन, वाटरशेड विकास, आदि।                                                  |                 |
| प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पी.एम.के.एस.वाई.)                       | कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय                         | आर.डब्ल्यू.एस. योजनाओं के लिए आवश्यक मानव संसाधनों के लिए कौशल विकास, प्रशिक्षण आदि                             |                 |
| समग्र शिक्षा                                                           | मानव संसाधन विकास मंत्रालय                              | स्कूलों में पेयजल आपूर्ति का प्रावधान                                                                           |                 |
| आकाशी जिला कार्यक्रम                                                   | नीति आयोग                                               | जिला कलेक्टर के पास उपलब्ध विवेकाधीन निधियों के तहत जल संरक्षण गतिविधियाँ                                       |                 |
| जिला खनिज विकास निधि (डी.एम.ए.फ.)                                      | राज्य                                                   | बड़े पैमाने पर जल संरक्षण गतिविधियाँ                                                                            |                 |
| एम.पी.एल.ए.डी.                                                         | सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) | अंतःग्राम अवसंरचना                                                                                              |                 |
| एम.एल.ए.एल.ए.डी.                                                       | राज्य                                                   | अंतःग्राम अवसंरचना                                                                                              |                 |
| संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान/जनजातीय उप योजना (टी.एस.एस.) | जनजातीय मामलों का मंत्रालय और राज्य                     | अंतःग्राम अवसंरचना                                                                                              |                 |
| दानदाता/प्रायोजक                                                       |                                                         |                                                                                                                 |                 |

अध्यक्ष का हस्ताक्षर: रामराज

पी एच डी डी / आर डब्ल्यू एस. विभाग के अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर: \_\_\_\_\_

आई.एस.ए. प्रतिनिधि का नाम और हस्ताक्षर (यदि लागू हो): Moham

**संपर्क विवरण**

ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./पानी समिति/प्रयोक्ता समूह, आदि का अध्यक्ष:

पंचायत सचिव का नाम और फोन नंबर: अब्दुल लहीद मो०-९६४२६७९०६७

जमीनी तकनीशियन का नाम और फोन नंबर: राज नारायन वर्मा मो०-९६३९९९१९९१

पानी की गुणवत्ता की चौकसी सुनिश्चित करने के लिए पांच महिलाओं के नाम और फोन नंबर:

1. बासु मती पत्नी बन्धुराज - मो० ९९१९५०६४९९
2. सावित्री देवी पत्नी शिव नारायण मो०-९१६१५०८३२४
3. गंगोत्री देवी पत्नी प्रेम कुमार मो०-८५५३०३६९६७
4. सीमा देवी पत्नी महावीर गौर्या मो०-७२३३९५३५४०
5. धरभावती पत्नी राम उजागिर मो०-९८३९०३५९९३

पंप ऑपरेटर का नाम और फोन नंबर:

पलम्वर- मालिक राम पुत्र शिव प्रसाद ९५६५६७००६३

B.T.L

रामराज

ग्राम पंचायत

ग्राम पंच

वि०ख०-गैण्डास बुजुर्ग

अंतर्गत-बहापमापुर

रामराज

प्रधान

ग्राम पंचायत-चिचूड़ी संगीया  
न्याय पंचायत-देढ़वा तप्पा बाँक  
वि०ख०-गैण्डास बुजुर्ग  
तहसील-उतरीला जनाप

अर्थिक  
P.C